

**FORM NO. III**फर्ड अहकाम  
(नियम 26)नाम अदालत जिला कलक्टर अलवर मुकाम अलवर  
उनवान हन्नान बनाम सरकार जरिये एसएचओ नौगावां, अलवर  
किस्म मुकदमा प्रार्थना-पत्र सुपुर्दगी आर बी एक्ट  
प्रा0पत्र नम्बर 15/16/2026 दायर दिनांक 04.03.2026

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.04.2026	<p>पुनश्च:-</p> <p>उक्त आदेशिका लिखने के दौरान वकील प्रार्थी पुनः उप0। बहस हेतु निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस पर कानूनी मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पिकअप रजि0 संख्या HR-38-AH-6731 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी थाना नौगावां से अभिशंषा/टिप्पणी ली गयी। थानाधिकारी द्वारा पत्रांक 646 दिनांक 10.03.2026 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पिकअप रजि0 संख्या HR-38-AH-6731 को सुपुर्दगी पर दिया जाता है तो मुकामी पुलिस को कोई ऐतराज नहीं है। पुलिस थाना की अभिशंषा के आधार पर जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु प्रा0पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी 5,00,000/- (शब्देन पांच लाख रूपये मात्र) का सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे तथा जब्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द-बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। इसी कदर/अनुसार वकील प्रार्थी द्वारा तस्दीकशुदा सुपुर्दनामा/जमानतनामा पेश किया। शामिल पत्रावली किया गया। पुलिस थाना थानाधिकारी नौगावां जिला अलवर को जप्तशुदा वाहन पिकअप रजि0 संख्या HR-38-AH-6731 को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।</p> <p style="text-align: center;"> जिला-कलक्टर अलवर</p>	